## न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म०प्र0

समक्षः—वीरेन्द्र सिंह राजपूत प्रकरण कमांक 03 / 2017 एस.टी.(विशेष) संस्थापित दिनांक 27—02—2017

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड म०प्रo।

----अभियोजन

## बनाम

रवि सिंह गुर्जर पुत्र मंशाराम सिंह गुर्जर उम्र 19 वर्ष। निवासी ग्राम सरसेड थाना मेहगांव, जिला भिण्ड म.प्र.। हाल निवासी— चम्बल कॉलोनी के पीछे वार्ड क्रमांक 4 जतबीरसिंह गुर्जर का मकान गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

—————अभियुक्त

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर। अभियुक्त द्वारा श्री बृजराजसिंह गुर्जर अधिवक्ता।

//आ दे श//

//आज दिनांक 05-08-2017 को पारित//

नोट–

ALINATA PAROTO SUNT

प्रकरण में आरोपी पर अभियोक्त्री के साथ लैंगिक हमला कारित करने का आरोप है, ऐसी स्थिति में निर्णय में अभियोक्त्री का नाम नहीं लिखा जाकर, अभियोक्त्री के नाम के प्रथम ॲग्रेजी अक्षर अर्थात् अभियोक्त्री "बी" लिखा जा रहा है।

- 01. प्रकरण में यह आदेश दं.प्र.सं. की धारा 232 के अंतर्गत पारित किया जा रहा है।
- 02. प्रकरण में आरोपी पर अवयस्क अभियोक्त्री 'बी' की लज्जाशीलता भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़ने एवं उस पर लैंगिक हमला कारित करने के संबंध में भा.द.वि की धारा 354ए एवं लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7/8 के अंतर्गत आरोप है।
- 03. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 04.02.2017 को अभियोक्त्री जो

कि सुभाष नगर चम्बल कॉलोनी के पीछे वार्ड कमांक 4 में निवास करती है का कोचिंग जाते समय लगभग दोपहर 03:45 बजे भोला गुर्जर, रिव गुर्जर के द्वारा रास्ता रोककर बुरी नियत से हाथ पकड लिया और उससे मोबाइल नम्बर लेने की जबरदस्ती करने लगे। अभियोक्त्री के चिल्लाने पर कुमारी गिरिजा राठौर व कुमारी कंचन राठौर ने उसे बचाया और आरोपीगण भाग गए। उक्त आशय की लिखित रिपोर्ट अभियोक्त्री के द्वारा थाना गोहद में की गई जिस पर से अप0क0 23/2017 अंतर्गत धारा 354, 341 भा.द.िव एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7/8 का पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में आवश्यक अग्रिम विवेचना की गई, आरोपी के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध पाया जाने से प्रकरण लैंगिक अपराधों से संबंधित होने से इस न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

- 04. आरोपी पर प्रथम दृष्टिया भा.द.वि की धारा 354ए एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7/8 के आवश्यक तत्व पाते हुए आरोप पत्र विरचित किया गया। आरोपी ने अपराध किया जाना अस्वीकार करते हुए विचारण चाहा।
- 05. प्रकरण में अभियोजन की ओर से अभियोक्त्री 'बी' अ०सा० 1, गिरिजा राठौर अ०सा० 2, कंचन राठौर अ०सा० 3, कैलाश राठौर अ०सा० 4 एवं हरिकिशन गौड अ०सा० 5 के कथन कराए गए है। अभियोजन की साक्ष्य उपरांत साक्षियों के कथनों में ऐसे कोई तथ्य विद्यमान नहीं है जिनसे कि अभियुक्त परीक्षण किया जा सके।
- 06. प्रकरण में साक्षी गिरजा अ०सा० 2 एवं कंचन राढौर अ०सा० 3 एवं कैलाश राढौर अ०सा० 4 ने किसी प्रकार की घटना घटित होने से इन्कार किया है। उक्त तीनों ही साक्षियों को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित किया गया है और सूचक प्रश्न के माध्यम से अभियोजन कथानक साक्षियों के समक्ष रखे जाने के पश्चात् भी उनके द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है।
- 07. अभियोक्त्री बी अ0सा0 1 का अपने कथनों में कहना रहा है कि वह दिनांक 04.02.2017 को दिन के 03:45 बजे कोंचिक पढ़ने ऐंचाया रोड पर जा रही थी। उस समय बरसात हो रही थी, उसी समय मोटरसाइकिल से तीन लड़के आए जिससे पानी के छींटे उसके ऊपर पड़े थे, जिससे उसके कपड़े

गंदे हो गए थे। उसी समय वहाँ पर कंचन एवं गिरिजा आ गई थी और उसने अपने भाई को लगाया तो भाई कैलाश भी वहाँ गया था। उसके पश्चात् उसके द्वारा थाने में लिखित रिपोर्ट की थी एवं पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल का नक्शामौका बनाया था और उसके द्वारा न्यायालय में कथन लेख कराए थे। अभियोक्त्री को अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के आधार पर पक्ष विरोधी घोषित किया गया है और सूचक प्रश्नों के माध्यम से अभियोजन कथानक उसके समक्ष रखा गया है, किन्तु उसके उपरांत भी अभियोक्त्री ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है।

- 08. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी हिरिकिशन गौड अ0सा0 5 जो कि मुन्नालाल विद्यापीठ प्राथमिक बालक विद्यालय गोहद में प्रधान अध्यापक है उसके द्वारा विद्यालय रिकार्ड के आधार पर अभियोक्त्री जन्मदिनांक 05.04.2003 उनके विद्यालय रिकार्ड में दर्ज होने के संबंध में कथन किए है।
- 09. प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट फरियादिया के लेखीय आवेदन पर से लेख करना साक्षी शिवप्रतापिसंह अ0सा0 6 के द्वारा अपने कथनों में बताया है, किन्तु इस संबंध में फरियादिया अ0सा0 1 को सुझाव दिए जाने के पश्चात् भी उसके द्वारा थाने पर कोरे कागजों पर हस्ताक्षरा करा लेने संबंधी कथन किए है तथा आरोपी पर लगाए गए आरोप के संबंध में कोई तथ्य उसके द्वारा एफ.आई.आर. में लिखाने से इन्कार किया है।
- 10. अतः प्रकरण में प्रकरण की इस स्टेज पर यह निष्कर्ष निकाले जाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि आरोपी ने आरोपित अपराध कारित किया।
- 11. परिणामतः प्रकरण में आई अभियोजन के आधार पर अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है कि आरोपी के द्वारा अभियोक्त्री का हाथ पकडकर उसका नम्बर मांगा हो और उसके साथ लैंगिम हमला कारित किया हो।
- 12. अततः आरोपी रिव के विरूद्ध अभिलेख पर कोई साक्ष्य न होने से आरोपी रिव को दं.प्रं. सं संहिता की धारा 232 के अंतर्गत धारा भा.द.वि की धारा 354ए एवं लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7/8 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- आरोपी जमानत पर है, उसके जमानत मुचलके एवं बंधपत्र निरस्त किये जाते है। 13.
- आरोपी का धारा 428 द.प्र.सं के अन्तर्गत प्रमाण–पत्र तैयार किया जावे। 14.
- निर्णय की एक प्रति अपर लोक अभियोजक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट, भिण्ड को 15. भेजी जावे।
- प्रकरण में निराकरण हेतु कोई जप्तशुदा वस्तु नहीं है। 16.

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत) अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत) ्रगोहद (मणप्र) अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद